



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-14072026-274463
CG-CG-E-14072026-274463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3641]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3641]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 13 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20A के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 3803(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20A की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना अर्थात् धरमजयगढ़—कोरबा (62 किमी) नई रेल लाईन परियोजना (कोरबा जिला) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, कोरबा को जिलाधीश कार्यालय, कोरबा छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात् जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची							
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन—विशेष रेल परियोजना, अर्थात् धरमजयगढ़—कोरबा (62 किमी) कोरबा जिला के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-							
जिला का नाम:—कोरबा				जिला का नाम:—कोरबा			
तहसील का नाम:— कोरबा				तहसील का नाम:— कोरबा			
क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)	क.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिलकेजा	584/3 587/1 582/4 581/1 580/2 582/11 487/3 487/17 481/1 468/2 493/1 493/2 484/1 } 485 582/3 588 480/3	0.010 0.018 0.020 0.023 0.019 0.005 0.018 0.005 0.069 0.028 0.038 0.007 0.050 0.030 0.010 0.024	1	तिलकेजा	483/3 579/1 577/1 580/3 468/7 468/3 494/1 468/1 486/1 465/3 465/2 577/1 482/1 492/1 6/6 746/2 754/7	0.045 0.012 0.023 0.019 0.026 0.025 0.035 0.032 0.018 0.025 0.020 0.013 0.072 0.128 0.118 0.032 0.129
2	सेन्द्रीपाली	207/1	0.065				
कुल भूमि— 1.211 हे०							

[फा. सं. सी.ए.ओ./सि/बी.एस.पी./ईस्ट रेल कॉरीडोर /6]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 13rd July, 2026

Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989

S.O. 3803(E).— In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway project, namely Dharamjaygarh-Korba (62 Km) in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Additional Collector, Korba, Collectorate office, Korba, Chhattisgarh in writing, and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the

Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE							
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, Dharamjaygarh-Korba (Phase-II) New Rail Line Project (62 Km) for Korba District in the State of Chhattisgarh.							
Name of District : Korba				Name of District : Korba			
Name of Tahsil : Bhaisma				Name of Tahsil : Bhaisma			
N0.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)	N0.	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TILKEJA	584/3	0.010	1	TILKEJA	483/3	0.045
		587/1	0.018			579/1	0.012
		582/4	0.020			577/1	0.023
		581/1	0.023			580/3	0.019
		580/2	0.019			468/7	0.026
		582/11	0.005			468/3	0.025
		487/3	0.018			494/1	0.035
		487/17	0.005			468/1	0.032
		481/1	0.069			486/1	0.018
		468/2	0.028			465/3	0.025
		493/1	0.038			465/2	0.020
		493/2	0.007			577/1	0.013
		484/1 } 485 }	0.050			482/1	0.072
		582/3	0.030			492/1	0.128
		588	0.010			6/6	0.118
		480/3	0.024			746/2	0.032
						754/7	0.129
2	Sendripali	207/1	0.065				
Total Land:- 1.211 Hectare							

[F. No. CAO/C/BSP/East Rail Corridor/6]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer /Con.